प्रेस –विज्ञप्ति

उ0प्र0 शासन पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–6/2018/190/64–2–2018–1(68)/2006 दिनॉक 27.02.2018 द्वारा पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों जिनकी शैक्षिक योग्यता न्यूनतम इण्टर मीडिएट हो तथा जिनके अभिभावकों की ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र दोनों में समान रूप से वार्षिक आय सीमा रू0 1.00 लाख तक होनी चाहिए, अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो, अभ्यर्थी बेरोजगार हो तथा किसी शिक्षण संस्था से छात्रवृत्ति न लेता हो तथा अभ्यर्थी किसी भी शिक्षण संस्था में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत न हो को ओ–लेवल जिसकी अवधि 01 वर्ष एवं सी0सी0सी0 क0 प्रशि0 जिसकी अवधि 03 माह की होगी, के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की वेबसाइट http://backwardwelfare.up.nic. एवं obccomputertraining.upsdc.gov.in पर दिये गये लिंक पर लॉगिन करके दिनॉक 15 अगस्त, 2020 तक शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा तथा सम्बन्धित आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट प्राप्त करके उस पर पासपोर्ट साईज का फोटो चस्पा कर अपना हस्ताक्षर बनाकर, निम्न अभिलेखों जैसे:–(जाति, आय प्रमाण पत्र बोर्ड ऑफ रेवेन्यू/ई–डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर होना) हाईस्कूल अंक पत्र, प्रमाण पत्र, इण्टर अंक पत्र तथा प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की छायाप्रति सहित हार्डकॉपी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय विकास भवन कमरा नं0–204 में निर्धारित अन्तिम तिथि 15 अगस्त,2020 की सांय 5:00 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा। 05 अगस्त के पश्चात आवेदन पत्रों को जमा नहीं किया जायेगा।

विस्तृत दिशा–निर्देश/समय सारिणी उक्त बेवसाइट पर प्रदर्शित कर दी गई है।

ह0/

(जगत भूषण श्रीवास)
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
रामपुर।

कार्यालयः जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रामपुर।

पत्रांक 73 /पि0व0क0/प्रेस विज्ञप्ति/2020–21/ दिनॉक 31 जुलाई,2020

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

2– जिलाधिकारी, महोदय रामपुर।

3– मुख्य विकास अधिकारी, महोदय रामपुर।

4– उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद।

5– जिला सूचना अधिकारी रामपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति समस्त हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू समाचार पत्रों में जनहित में निः शुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

6– सम्पादक दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान रामपुर को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त प्रेस विज्ञप्ति को जनहित में निः शुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

7– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0), रामपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को जनपदीय वेबसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।

8– जनपद रामपुर में संचालित भारत सरकार की अधिकृत संस्था नीलिट से मान्यता प्राप्त संस्थाओं को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त अंकित वेबसाइट पर दिनॉक 15 अगस्त, 2020 तक उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए छात्र/छात्राओं से ऑनलाईन आवेदन कराना सुनिश्चित करें।